

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
सं० / 2017 / 146(120) / XXVII(8) / 08
देहरादून :: दिनांक:: 22 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के जारी होने की अगली तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-III के क्रमांक 3 में निम्नलिखित संशोधन करने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

अनुसूची-III के क्रमांक 3 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात्-


क्र० सं०	माल का विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर की प्रतिशत
1	डीजल ऑयल जो संयुक्त प्रान्त मोटर स्पिरिट डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम, 1939 के अधीन परिभाषित है,	विनिर्माता या आयातकर्ता	17.48 प्रतिशत या रु० 9.41 प्रति ली०, जो भी अधिक हो।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव


सं० 667/2017/146(120)/XXVII(8)/08 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4-अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन०आई०सी०
- 6-गार्ड फाईल हेतु।


अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त-वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 667/2017/146(120)/XXVII(8)/ 08 dated 22 September, 2017 for general information.

Government of Uttarakhand
VITTA ANUBHAG-8
NO. 667/2017/146(120)/XXVII(8)/08
Dehradun :: Dated: : 22 September, 2017

Notification


WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to amend serial no. 3 of Schedule-III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005, from the next date of issuing of this notification-

Amendment

In Schedule-III, for the existing entry at serial no. 3, the following entry shall be substituted; namely-

Sl. No.	Description of Goods	Point of Tax	Rate of tax percentage
1	Diesel Oil, as defined under the United Provinces Sale of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939	Manufacturer or Importer	17.48 percent or Rs. 9.41 per litre, which is greater


(Radha Raturi)
Principal secretary